क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2,पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी–176/ दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोकसुनवाई के लिए आमसूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती किरण जैन पत्नि श्री विमल कुमार जैन, रेफरेंस संख्या 20201000030935 ग्राम हिसामपुर द्वारा ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर संख्या 37 खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	रेफरेंस/प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	श्रीमती किरण जैन पत्नि श्री विमल कुमार जैन खसरा संख्या 124 एवं 125	20201000030935	1.5258	हिसामपुर	ग्रेनाईट	110000
2	मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाईट	20201000030815	1.0125	हिसामपुर	ग्रेनाईट	107856
3	श्री रामप्रसाद कुमावत	20191000013377	1.0728	हिसामपुर	ग्रेनाईट	142532
4	श्री सौरभ जैन	201910000 9941	1.5913	हिसामपुर	ग्रेनाईट	209698
5	श्री सुनील कुमार	प्लॉट संख्या 12	1.4672	हिसामपुर	ग्रेनाईट	78443.75

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 6.6696 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–648529.75 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम हिसामपुर, तहसील देवली, जिला टोंक से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **श्रीमती किरण जैन पत्नि श्री विमल कुमार जैन, रेफरेंस संख्या 20201000030935 ग्राम हिसामपुर** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजनासे सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:–
    1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,टोंक।
    2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
    3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
    4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
    5. तहसील–देवली, जिला–टोंक।
    6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, हिसामपुर, तहसील देवली, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण/2022/3728 दिनांक 27.06.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 29/07/2022 को दोपहर 02:30 बजे, स्थान–राजीव गांधी सेवा केन्द्र, हिसामपुर, तहसील देवली, जिला टोंक** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तँवर)
पर्यावरणीय अभियंता
एवं क्षैत्रीय अधिकारी